राज्यासभा

अतारांकित प्रश्निसंख्याि1382

09 मार्च, 2016 को उत्तयरके लिए

छत्ातीसगढ़ में लौह अयस्क खानें

1382. **श्री हुसैन दलवई**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्ातीसगढ़ के अंतागढ़ जिले में रावघाट खान से लौह अयस्क के निष्कर्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन खानों से लौह अयस्क के निष्कर्षण से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) खान निष्कर्षण, टाउनशिप, रेल लाईन इत्यादि सहित सभी आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए कितनी वन भूमि की मंजूरी और कितनी गैर-वन भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है,

(घ) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रभावित गांवों से ग्राम सभा की सहमति ले ली गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ग्राम-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तडर

इस्पाात और खान मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

क) छत्तीासगढ़ के नारायणपुर और कांकेर जिले में स्थित रावघाट खानों के ब्लॉ क ''एफ'' से लौह अयस्की के उत्ख नन के लिए स्टीकल अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा अनेक पूर्व-परियोजना संबंधी कार्य पूरे किए जाने की आवश्यइकता है। रावघाट परियोजना के क्रियान्व यन के लिए सेल ने पर्यावरणीय एवं वन संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली है। सेल/भिलाई इस्पासत संयंत्र के पक्ष में खनन पट्टा मिल गया है। परियोजना हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन क्यूंबिक मीटर पानी के लिए राज्यग सरकार से अनुमोदन ले लिया गया है। सेल ने परियोजना के निर्माण-उद्देश्यख के लिए छत्तीदसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से 132 केवी पर 10000 केवीए ईएचटी विद्युत आपूर्ति हेतु भी स्वीवकृति प्राप्तड की है। राज्यव सरकार द्वारा वन मंजूरी, खनन पट्टा पानी के निर्धारित मात्रा के लिए और विद्युत आपूर्ति लाईन एवं

सब-स्टेशन के निर्माण के लिए अपेक्षित शुल्क् सेल पहले ही जमा करा चुका है। क्षेत्र की साफ-सफाई करने, खान के परिधीय क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराने, डल्लीक-राजहरा से रावघाट रेलवे लाईन के निर्माण के सुरक्षित क्रियान्व यन और सुरक्षा व्यलवस्थाा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीआरपीएफ प्रत्येतक की दो बटालियनें स्वीवकृत की गई हैं और उन्हेंु पदथाआरपीपित किया गया है। रावघाट खानों और डल्लीव-राजहरा रावघाट रेल लिंक परियोजना की सुरक्षा के लिए तैनात किए जा रहे अर्धसैनिक बलों के लिए 21 स्थ लों पर स्था यी बैरकों का निर्माण किया जा रहा है। लौह अयस्कब डिपाजिटों तक पहुंचने के लिए क्षेत्र में तलहटियों से लेकर पहाड़ी की चोटी तक सात किलोमीटर लम्बीन सड़क के निर्माण हेतु 7000 पेड़ों में से 1950 पेड़, जिन्हेंर गिराना आवश्यचक था, काट दिए गए हैं और तीन किलो मीटर मुरम सड़क का निर्माण किया जा चुका है।

ख) राजस्व रॉयल्टीण, उपकर, जिला खनिज निधि और राष्ट्रीरय खनिज अन्वे षण न्या्स के लिए केंद्र और राज्यॉ सरकार को रावघाट खानों से निकाले गए प्रति मिलियन टन लौह अयस्के से मिलने वाला संभावित राजस्वट लगभग 35.17 करोड़ रूपए होने की आशा है।

ग) और (घ) रावघाट परियोजना की विभिन्न खनन और संबंद्ध क्रियाकलापों के लिए 883.22 हेक्टे यर वन भूमि की आवश्यंकता है, जिसके लिए सेल ने वन भूमि के डाईवर्जन हेतु चरण-II की वन मंजूरी पहले ही प्राप्तन कर ली है। इसके अलावा, सेल ने अन्ता गढ़ में एक टाउनशिप विकसित करने के लिए 45 हेक्टौयर सरकारी भूमि के लिए भी आवेदन किया है और राज्यट सरकार ने नारायणपुर में अतिथि गृह के लिए 1 एकड़ सरकारी भूमि का प्रस्तापव किया है।

(ड.) केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने दिनांक 30.07.2009 को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत प्रमाणपत्र प्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं जारी की थीं। तथापि, नवम्बरर, 2008 में उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने से पहले परियोजना हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसलिए एफआरए के तहत ''ग्राम सभा'' की सहमति इस परियोजना के लिए लागू नहीं है।

***